न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

दर्ज दिनांक 07.07.2020

प्रकरण संख्या :– 21/2020 (2020/00137)
प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

शीर्षक

1. श्रीमती चांदकंवर पत्नि अरविन्द सिंह उर्फ नाथू सिंह राजपूत निवासी भूणास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

––प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
3. नन्द लाल पिता धन्ना अहीर निवासी भूणास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

––विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थीया: श्री भगवती लाल टेलर
श्री गणपत राणवा (विपक्षी सं0 03)
पेरोकार सरकार

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम ::

दिनांक:–30.09.2020

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए R.T.A. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम भूणास, पटवार हल्का भूणास, भू0अभिलेख क्षेत्र भूणास, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1150 रकबा 0.2200 हे0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.2200 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 106 पर स्थित है, जिसके लिये नकल जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 पेश है।

यह कि प्रार्थीया के पूर्वजों के समय से ही उक्त आराजी में जाने के लिये मौके पर रास्ता सरकारी बिलानाम काबिल काश्त आराजी नम्बर 1132/3146 एवं विपक्षी संख्या 03 की आराजी संख्या 1151/2 में से होकर जाता है तथा वर्षो से इसी रास्ते से आ रहे है। तथा मौके पर रास्ता बना हुआ हैं। तथा यह विपक्षी संख्या 01 राजस्थान सरकार के एवं विपक्षी संख्या 03 के नाम पर दर्ज रेकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:11:48 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थीया का रास्ता [illegible] 1132/3146 के उत्तर दिशा की तरफ आराजी संख्या 1132 से सटा[illegible] संख्या 1151/2 में से हो[illegible] है। तथा मौके पर विपक्षीगण की सम्पूर्ण आराजी में से [illegible] फीट चौड़ा रास्ता जाता [illegible] मौके पर रास्ता विद्यमान है जिसे राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जाना आवश्यक है।

1.

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

यह कि प्रार्थीया की आराजी मे जाने के लिए उक्त रास्ते के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है। प्रार्थीया उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग वर्षो से करती चली आ रही है। तथा उक्त रास्ते का उपयोग **EXISTING WAY** के रूप में किया जा रहा है।

यह कि प्रार्थीया नियमानुसार विपक्षी की आराजी में रास्ता दर्ज करने में उपयोग होने वाली भूमि की क्षतिपूर्ति राशि जमा करवाने को तैयार है।

प्रार्थीया ने प्रा. पत्र में रिलीफ चाही है कि प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी की बिलानाम काबिल काश्त संख्या 1132/1146 में उत्तर दिशा की तरफ आराजी संख्या 1132 से सटा हुआ एवं आराजी संख्या 1151/2 मे 15 फीट चौड़ा रास्ता जो कि मौके पर मौजूद है जो प्रार्थीया की आराजी में जाने के लिये उपयोग में आ रहा है को राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रा. पत्र इस न्यायालय में दिनांक 07.07.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण नं. 1 व 02 की ओर से पेरोकार उपस्थित। पेरोकार द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की गई। विपाक्षी संख्या तीन की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया जिसके अनुसार कलम संख्या एक को प्रार्थीया समपुष्ट साक्ष्य से प्रमाणित करावें। कलम संख्या दो को गलत बताकर अस्वीकार किया है। कलम संख्या तीन को भी अस्वीकार किया है और कहा कि अन्य आराजी होते हुए भी नये सिरे से रास्ता कायम करवाना चाहती है, कलम संख्या चार व पांच सर्वथा गलत होने से अस्वीकार किया है। कलम संख्या 6 व 7 को कानूनी बताया तथा प्रार्थीया ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया वह गलत प्रस्तुत किया है तथा शेष प्रार्थना है जो गलत होने से अस्वीकार की है। एवं मजीद कथन प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

पेरोकार सरकार उपस्थित। तथा प्रकरण में मौका निरीक्षण करवाया जाकर मौका रिपोर्ट दिनांक 21.08.2020 को प्रस्तुत की जिसे शामिल मिसल किया गया।

मौका पर्चा अनुसार :–

–यह कि भूणास के आराजी नं0 1150 जो वादिया चांदकंवर पत्नि अरविंद सिंह उर्फ नाथूसिंह द्वारा पहुंच हेतु आराजी नं0 1151/2 में से चाहा गया है। वर्तमान में उक्त आराजी पर कोई रास्ता बना हुआ नहीं है

– यह कि मौके पर चाहा गया रास्ता बंद है व आवेदित रास्ता के प्रवेश मार्ग आराजी नं0 1150 की मेड़ पर पक्की दीवार बनी [illegible] है।

–यह कि मौके पर वर्तमान आवागमन हेतु आराजी [illegible] 1140, 1148, 1150/3228 में होकर आते जाते है जिस पर आरा[illegible] आना कानी करता है। अर्थात इसके के अलावा व विवादित रास्ते के अलावा अ[illegible] कोई रास्ता नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:11:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

–यह कि वर्तमान में आराजी नं0 1150 में आने जाने हेतु राजी संख्या 1141, 1140, 1148, 1150/3128 में होकर रास्ते हेतु उपयोग में ले रहे है जिस पर आराजी नं0 1150/3228 के खातेदार द्वारा आना कानी की जाती है।

– यह कि वादिया द्वारा चाह गया रास्ता आराजी नं0 1151/2 जो एन0एच0 758 (भीलवाड़ा–उदयपुर) सड़क पर स्थित है। तथा उक्त आराजी नं0 1151/2 में से 0.0210 हे0 भूमि रास्ते में प्रभावित होगी, जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 दर 86,63,586/– रूपये प्रति हेक्टयर निर्धारित है जिसके अनुसार रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि 0.0210 हे0 की मालियत 181936/– रूपये होती है तथा इसकी दुगुनी राशि 363872/– रूपये होती है।

–यह कि प्रस्तावित रास्ते को राजस्व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया जाकर मय नकल जमाबंदी पत्र के साथ संलग्न है।

– यह कि मौके पर उक्त वर्णित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

वर वक्त सुनवाई प्रार्थीया के अधिवक्ता व पेरोकार सरकार को मजमे आम में सुना गया। प्रार्थीया के अधिवक्ता ने प्रा. पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। विपक्षी संख्या 3 के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर विरोध प्रदर्शित किया।

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रार्थीया व पेरोकार सरकार द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों पर गहनता से मनन किया। ग्राम भूणास, पटवार हल्का भूणास, भू0अभिलेख क्षेत्र भूणास, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1150 रकबा 0.2200 हे0 में जाने के लिये मौके पर रास्ता सरकारी बिलानाम काबिल काश्त आराजी नम्बर 1132/3146 एवं विपक्षी संख्या 03 की आराजी संख्या 1151/2 में से होकर जाता है । अर्थात् प्रार्थीया की आराजी संख्या 1150 में आवागमन करने के लिऐ विपक्षीसंख्या 03 की आराजी संख्या 1151/2 में 15 फीट चोड़े रास्ते हेतु आवागमन करने के अलावा अन्य कोई भी रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है। मौका पर्चा रिर्पोट में प्रस्तावित रास्ते की भुमि को नजरी नक्शे मे लाल स्याही से प्रदर्शित किया गया है। प्रार्थीया को अपनी कुषि भुमि आराजी नं0 1150 में आने जाने के लिए प्रस्तावित भुमि के लिऐ विपक्षी संख्या 3 की आराजी संख्या 1151/2 में से 0.0210 हे0 भूमि अर्थात 15 फीट चौडा रास्ता यानि 0.01 हे0 भुमि का नवीन रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है तथा इस हेतु विपक्षी संख्या 03 की दीवार को प्रार्थीया द्वारा तोड़ी जावेगी जिसे प्रार्थीया द्वारा 15 फिट चोड़े रास्ते को छोड़ते हुए पुनः दीवार का निर्माण करवाया जावे। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीया का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी एक्ट का स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है। अतएवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:11:48 IST
Reason: SelfAttested

3.

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :– 21/2020 (2020/00173)
प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

:: आदेश ::

प्रार्थीया का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी ए का स्वीकार किया जाता है। ग्राम भूणास पटवार हल्का भूणास की आराजी संख्या 1150 में आने जाने के लिए विपक्षी संख्या 03 की आराजी न0 1151/2 में से 0.0210 हे0 यानी 15 फिट चौड़ी भूमि रास्ते हेतु बनती है। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0दर 86,63,586/– है। उक्तानुसार रास्ता हेतु उपयोग में आने वाली भूमि का Govt. Of Rajasthan Revenue (Gr-6) Department के परिपत्र NOF 3(2)Rev.6/03/pt./7 Date 02-03-2012 के अनुसार डी0एल0सी0दर से मालीयत 1,81,936/–होती है। इसकी दुगुनी राशि 363872/–प्रार्थीया विपक्षीगण संख्या 3 को भुगतान करने एवं प्रार्थीया द्वारा 15 फिट चौड़ी तोड़ी गई दीवार के एवज में पुनः दीवार बनाकर विपक्षी संख्या 03 को देने के पश्चात उक्त 0.0210 हैक्ट. भुमि को बिलानाम में गै. मु. रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सहाड़ा द्वारा प्रार्थी से उक्तानुसार राशि 363872/– प्रार्थी से वसुल कर विपक्षीगण संख्या 3 को जरिये नोटिस सूचित करा राशि उपलब्ध करावें विपक्षीगण द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर उक्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवाई जाकर ग्राम भूणास पटवार हल्का भूणास की आराजी संख्या 1150 में आने जाने के लिए 15 फीट चौड़ा रास्ता यानी विपक्षीगण की आराजी न0 1151/2 में से 0.0210 हे0 भूमि को गै0मु0 सार्वजनिक रास्ता दर्ज करें तथा प्रार्थीया को दीवार तोड़ने के बदले पुनः दीवार निर्माण हेतु पाबंद करावें तदनुसार नक्शें में तरमिम की जावें। पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2020 मेंरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
जिला भीलवाड़ा
(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:11:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner